

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर****एकल पीठ: माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश****रिट याचिका क्र. 2507/1996,**याचिकाकर्तागण

- 1) मेसर्स वूलवर्थ (इंडिया) लिमिटेड
923-924, उरलाग्रोथ सेंटर,
रायपुर द्वारा प्रबंध निदेशक श्री अजय प्रकाश लोहिया
- 2) श्री अजय प्रकाश लोहिया, प्रबंध निदेशक,
वूलवर्थ (इंडिया) लिमिटेड, उरला ग्रोथ सेंटर,
औद्योगिक क्षेत्र सरोरा, रायपुर (म.प्र.)

//विरुद्ध//उत्तरवादीगण

- 1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा
सचिव, वाणिज्य कर विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (म.प्र.)
- 2) आयुक्त वाणिज्य कर,
मध्यप्रदेश, इंदौर।
- 3) सहायक आयुक्त,
वाणिज्य कर बिलासपुर (म.प्र.)
- 4) सहायक आयुक्त,
वाणिज्य कर, रायपुर (म.प्र.)

याचिकाकर्तागण की ओर से श्री आशीष श्रीवास्तव अधिवक्ता

उत्तरवादीगण की ओर से श्री यशवंत सिंह शासकीय अधिवक्ता



मौखिक आदेश

(दिनांक 17 जुलाई 2006 को पारित किया गया)

- 1) यह रिट याचिका वाणिज्य कर के सहायक आयुक्त बिलासपुर उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/03/1996 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
- 2) याचिका कर्ता क्र. 1 यूनिवर्य समूह की कंपनियों की एक कंपनी है जिसे अप्रवासी भारतीय द्वारा बढ़ाया गया है याचिका कर्ता उरला ग्रोथ सेंटर रायपुर में उन का सूत (वस्ट्रेड वूलेन यार्न) बनाने हेतु इकाईयां 100 प्रतिशत निर्यात करने हेतु स्थापित की हैं याचिका कर्ता क्र. 2 प्रबंधन निदेशक तथा कंपनी का शेयरधारक है याचिकाकर्ताओं ने अपनी पहली इकाई स्थापित किया तथा दिनांक 01 नवंबर 1990 को याचिकाकर्ताओं ने उत्पादन प्रारंभ किया। राज्य सरकार द्वारा करों के विभिन्न प्रोत्साहनों की विस्तारित प्रतिज्ञा के अंतर्गत याचिकाकर्ता कंपनी ने 01/11/1990 से 21/10/1999 के अवधि के लिए बिक्री कर से छूट देने की मांग की जो स्वीकृत की गई। इसी प्रकार याचिकाकर्ता कंपनी ने 27/08/1990 से 26/08/1995 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रवेश कर से छूट की मांग की गई, जो स्वीकृत की गई। याचिकाकर्ता कंपनी ने द्वितीय चरण विस्तार कार्यक्रम को अपनाया और इस संदर्भ में समय-समय पर भारत सरकार उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग औद्योगिक सचिवालय ई.ओ.डब्ल्यूअनुविभाग (निर्यात उन्मुख इकाईयां) नई दिल्ली से इस आशय का अनुमोदन पत्र प्राप्त किये। 01 अगस्त 1992 और 26 मार्च 1993 से द्वितीय इकाई का वाणिज्य उत्पादन चरणबद्ध रूप से शुरू हुआ। दिनांक 16/07/1993 को याचिकाकर्ता कंपनी को द्वितीय इकाई के लिए भी प्रवेश कर से छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, लेकिन यह केवल कच्चे माल के संदर्भ में था, दिनांक 01/04/1992 से 31/03/1993 के अवधि के लिए याचिकाकर्ता ने प्रवेश कर विवरण प्रस्तुत किया। दिनांक 15/03/1996 को निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के दावे को



अस्वीकार कर दिया। निर्धारण अधिकारी याचिकाकर्ता कंपनी के दावे को अस्वीकार करते हुए 52,75,98436 रुपये मूल्य के संयंत्र और मशीनरी पर प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह निर्णय लिया कि याचिकाकर्ता द्वारा खरीदे गये संयंत्र और मशीनरी आनुषंगिक वस्तुएं (incidental goods) है, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं इसलिए मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र के माल प्रवेश पर कर अधिनियम 1976, क्र. 52 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 3 (1) (बी) के अनुसार प्रवेश कर भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

3) निःसंदेह, आक्षेपित निर्धारण आदेश दिनांक 15/03/1996 के विरुद्ध छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर अधिनियम 1994 की धारा 61 के अंतर्गत अपील और धारा 62 के अंतर्गत पुनरीक्षण का प्रावधान है। तथापि याचिकाकर्ताओं ने वैधानिक उपचारों का उपयोग किये बिना सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी के आक्षेपित निर्धारण आदेश दिनांक 15/03/1996 को इस आधार पर निर्धारण करते हुए मध्यप्रदेश इंदौर के वाणिज्य कर आयुक्त के परिपत्र दिनांक 28/04/1995 द्वारा स्वयं को निर्देशित किया, इसलिए वैकल्पिक उपचारों को अपनाना निरर्थक होगा, रिट याचिका वर्ष 1996 में दायर की गई थी 10 वर्षों से अधिक लंबी अवधि के बाद यह अंतिम सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक उपचारों को अपनाने के लिए निर्देशित करना उचित नहीं होगा।

4) मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने/याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि परिपत्र संख्या 16/2/84/V, दिनांकित 31/07/1986 के अनुसार पंजीकृत ईकाईयां जो अपने उत्पादन का 75 प्रतिशत या अधिक निर्यात करती है उन्हें प्रवेश कर से छूट दी जायेगी। यहां तक कि उन आनुषंगिक वस्तुओं और पैकिंग सामग्री पर भी जो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होती है, इसलिए याचिकाकर्ता कंपनी कर भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। वैकल्पिक में यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि यदि मान भी लिया जाये की संयंत्र और



मशीनरी आनुषंगिक वस्तुएं हैं तब भी उपरोक्त परिपत्र के आधार पर उन वस्तुओं पर प्रवेश कर नहीं लगाया जा सकता। यह भी तर्क किया कि संयंत्र और मशीनरी स्थानीय क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि व्यापारिक गतिविधियों के प्रारंभ के लिए लाये गये थे इसलिए अधिनियम की धारा 3 (1) प्रावधान इस याचिका के तथ्यों पर लागू नहीं होते, यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि निर्धारण अधिकारी ने संयंत्र और मशीनरी का प्रवेश कर उद्गृहीत करते समय विधि विपरीत तरीके से कार्य किया है। यह भी तर्क किया कि यह प्रश्न कि क्या संयंत्र और मशीनरी जो उत्पादन प्रारंभ करने से पहले स्थानीय क्षेत्र में लाये गये थे प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी है कि नहीं, इस संबंध में पहले ही निर्णय अन्य मामले में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीधे विरूद्ध अतिरिक्त वाणिज्य कर आयुक्त जबलपुर¹ के मामले दिया जा चुका है,

उपरोक्त निर्णय में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह माना है कि संयंत्र और मशीनरी जो स्थानीय क्षेत्र में उत्पादन प्रारंभ होने से पूर्व लाये गये थे, वे प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने इसके विपरीत तर्क दिया कि संयंत्र और मशीनरी प्रथम ईकाई के स्थापना के दौरान स्थानीय क्षेत्र में उपभोग और कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए लाये गये थे इसलिए उन्हें आनुषंगिक वस्तु माना जाना चाहिए और अधिनियम की धारा 3 उपधारा (1) के खंड (1) (ब) के प्रावधानों के अंतर्गत है।

5) उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात् एक मात्र विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या निर्धारण अधिकारी द्वारा इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा स्थापित तथ्यों को देखते हुए याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र में लाये गये संयंत्र और मशीनरी पर प्रवेश कर उद्गृहीत किया जाना न्याय संगत था।



6) हमारे उद्देश्य हेतु प्रासंगिक उल्लेखनीय प्रावधान धारा 3 (1) (बी) है। धारा 3 (1) प्रभारी धारा है जो कर के भार से संबंधित है जो निम्नानुसार पढ़ी जाये:-

"(बी) एक विक्रेता द्वारा व्यापार के दौरान अनुसूची-3 में वर्णित वस्तुओं का प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश, उन वस्तुओं के उपभोग या उपयोग के लिए (कच्चे माल या आनुषंगिक वस्तुओं के रूप में) अथवा पैकिंग सामग्री के रूप में अथवा ठेकेदारियों के निष्पादन में, परन्तु बिक्री के लिए नहीं,"

बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक विक्रेता के लिए उत्तरदायी है जिसने ऐसी वस्तुओं का प्रवेश किया हो। धारा 3 की उप धारा (1) का खण्ड (बी) यह उपबंध करता है कि यदि कोई विक्रेता अनुसूची-3 में वर्णित वस्तुओं को व्यापार के दौरान स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग हेतु (कच्चे माल आनुषंगिक वस्तु या पैकिंग सामग्री के रूप में) वस्तुओं को लाता है, उस पर प्रवेश कर लगेगा। निर्धारण अधिकारी के समक्ष यह स्पष्ट रूप से दर्शित है कि संयंत्र और मशीनरीयाचिका कर्ता द्वारा खरीदी गई थी और उन्हें स्थानीय क्षेत्र में व्यापार के दौरान नहीं बल्कि दूसरी इकाई के व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले लाया गया था, यह भी ध्यान देने योग्य है कि संयंत्र और मशीनरी न कच्चे माल के रूप में और न ही आनुषंगिक वस्तु के रूप में लायी गई थी। मेरे विचारण अनुसार यह स्थापित तथ्य है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीधे विरूद्ध अतिरिक्त वाणिज्य कर आयुक्त जबलपुर (पूर्विक) में दिये गये निर्णय इस याचिका में पूरी तरह लागू होता है दोनों मामलों के तथ्य पर्याप्त रूप से सामान्य है। उस मामले में विचारणीय प्रश्न यह था कि याचिका कर्ता कंपनी द्वारा खरीदी गई और स्थानीय क्षेत्र में लाई गई संयंत्र और मशीनरी पर प्रवेश कर लगाया जा सकता है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह पाया कि संयंत्र और मशीनरी याचिका कर्ता कंपनी द्वारा खरीदी गई थी और दूसरी इकाई के उत्पादन शुरू होने से पूर्व स्थानीय क्षेत्र में लाया गया था, अतः उन पर प्रवेश कर नहीं लगाया जा सकता। उपरोक्त विचार बनाते समय मध्यप्रदेश न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित किया। नेशनल फर्टिलाइजर्स



लिमिटेड और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य² भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल विरुद्ध अतिरिक्त क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, बिक्री कर और अन्य³ और मेंहर सीमेंट बनाम बिक्री कर आयुक्त, मध्यप्रदेश⁴ उपरोक्त न्याय दृष्टांत के अनुसार यदि संयंत्र और मशीनरी को उत्पादन प्रारंभ होने से पहले स्थानीय क्षेत्र में लाया गया है, तो वे प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। मैं उपरोक्त निर्णय में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनाएं गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूं।

7) परिणाम स्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है, वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।



हस्ताक्षरित -

मुख्य न्यायाधीश

2- (1977) 106 STC 53]

3- [1999] 32 VKN 560

4- [1995] 29 VKN 185



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Adv. Nikhat Shandan jafri

